**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का अभियान**

3251. **श्री राम जेठमलानी :**
**डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 दिसम्बर 1993 के "दी ट्रिब्यून" में "मूव टू स्टेथिन आई० आर०डी०पी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये चलाई जा रही योजनाओं में सुधार लाने का निर्णय लिया है ;

(ग) सुधार लाने हेतु किये जाने वाले परिवर्तनों का योजना-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सुधार से गत वर्षों की तुलना में कितने अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार लाने के लिये कई कदम उठाये हैं । प्रति व्यक्ति निवेश में वृद्धि को सुकर बनाने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसिडी पर अधिकतम सीमा को अगस्त, 1993 से सभी श्रेणियों के लिये 1000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है । प्रति व्यक्ति निवेश के स्तर, विवरणियों तथा ऋण पुनर्भुगतान के पैटर्न के संबंध में प्रायोगिक जिलों में पूर्व उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुये अब देश के 219 जिलों में परिवार ऋण योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त मंत्रालय की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल श्री वी० आर० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी और सुधारों के लिये अपनी सिफारिशें देगी ।

(घ) 1992–93 में कवर किये गये 20.68 लाख परिवारों की तुलना में 1993–94 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.7 लाख परिवारों को सहायता दिये जाने का लक्ष्य है । 1994–95 के दौरान परिवार ऋण योजना का लाभ 1.05 लाख परिवारों को उपलब्ध कराया जायेगा । इन सुधारों से उधार देने की गुणवत्ता को सुकर बनाया जा सकेगा और समग्र निष्पादन में सुधार हो सकेगा ।

**सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु दिशा-निर्देश**

3252. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **प्रधान** मंत्री 3 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1511 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र के विकास की योजना को लागू किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति की राय ली थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह सही नहीं है कि देश के ग्रामीण अंचलों में बढ़ती हुई गरीबी को रोकने के लिये इन क्षेत्रों को बारह मासी सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि इन अंचलों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अब इन दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करके इन ग्रामीण अंचलों में सड़क निर्माण विकास को प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीणविकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) और (ख) सांसद स्थानीय विकास योजना की मार्गदर्शिकाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । (नीचे देखिये) यदि मार्गदर्शिकाएं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के दिनांक 22.2.94